मुख्य मंत्री राहत कोष की न्यासी पर्षद की दिनांक 04.01.2012 को सम्पन्न 11वीं बैठक की कार्यवाही:–

क्रमांक	प्रस्ताव	न्यासी पर्षद का निर्णय
1.	विगत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	सम्पुष्ट किया गया
2.	मुख्य मंत्री राहत कोष की लेखा में प्राप्त राशि, वितरित राशि एवं अवशेष जमा राशि के प्रतिवेदन का उपस्थापन।	प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं निम्न निर्णय लिए गए :– (i) कोसी बाढ़ के दौरान प्राप्त राशि को अलग मद में Fixed Deposits में रखा जाय। (ii) यदि बाढ़ आश्रय स्थल (मानव/पशु) के निर्माण पर राशि खर्च नहीं हो पाती है तो कोसी क्षेत्र के पुनर्निर्माण/पुर्नवास योजना में इस राशि के प्रयोग की संभावना पर विचार करने का निदेश आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया। (iii) सरकारी निगमों एवं निकायों से मुख्य मंत्री राहत कोष में योगदान देने हेतु अनुरोध किया जाय।
3.	पिछले न्यासी पर्षद की दिनांक 17.08.2010 को 10वीं बैठक के उपरांत दिनांक 20.12.2011 तक राज्य के 175 (एक सौ पचहत्तर) निर्धन–सह–मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रदान की गयी 36,73,866/–रूपये की विमुक्त आर्थिक सहायता की सूचना न्यासी पर्षद को दी गयी।	सूचना ग्रहण किया गया एवं उच्च शिक्षा अनुदान मामलों में जिलों से प्रतिवेदनों को द्रुत गति से प्राप्त करने के लिए निम्न निर्णय लिए गए:– (i) मुख्य सचिव द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये जाने हेतु पत्र लिखा जाएगा जिसमें छात्र/छात्रा से संबंधित जाँच प्रतिवेदन (पारिवारिक वार्षिक आय, आवासीय तथा चरित्र एवं पूर्ववृत) एक सप्ताह के अन्दर भेजने का निदेश होगा। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा जाएगा कि वे मुख्य मंत्री राहत कोष से संबंधित छात्रों की जाँच जिला पदाधिकारी से पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा देगें।
4.	वर्तमान वर्ष 2011 में आई बाढ़ के दौरान मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000/–रूपये प्रति मृतक की दर से मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता राशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। यह सहायता राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाने वाली 1.00 लाख रूपये की सहायता राशि के अतिरिक्त देय होगी। इस संबंध में न्यासी पर्षद की स्वीकृति प्रार्थित है।	स्वीकृत

5.	**परिशिष्ट 'क'–।** में वर्णित घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000/–रूपये प्रति मृतक की दर से मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। राशि विमुक्ति की सूचना न्यासी पर्षद को दी गयी।	सूचना ग्रहण किया गया
	परिशिष्ट 'क'–।। में वर्णित घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000/–रूपये प्रति मृतक की दर से मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। मुख्य मंत्री राहत कोष से विमुक्त की गई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पषर्द से प्रार्थित है।	स्वीकृत
6.	कोशी बाढ़ 2008 के दौरान बाढ़ से प्रभावितों के सहायतार्थ माननीय सांसदों (राज्य सभा) यथा– डॉ० सी0पी0 ठाकुर, डॉ० एम0 एजाज अली एवं श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सांसद निधि की राशि मात्र 70.00 लाख (सत्तर लाख) रूपये जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा मुख्य मंत्री राहत कोष में प्रदान की गयी थी। महालेखाकार, बिहार, पटना के अंकेक्षकों द्वारा सांसद निधि की राशि के हस्तांतरण पर की गई आपत्ति के आलोक में सांसद निधि की उक्त राशि चेक के माध्यम से जिला पदाधिकारी, पटना को दिनांक 22.02.11 को वापस कर दी गयी। मुख्य मंत्री राहत कोष से जिला पदाधिकारी, पटना को विमुक्त 70.00 लाख (सत्तर लाख) रूपये की राशि की स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	सूचना ग्रहण किया गया
7.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा सम्पन्न वर्ष 2010 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा के सफल छात्र/छात्राओं को यथा निर्धारित दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष से क्रमशः 6,60,000/–रूपये एंव 19,70,000/–रूपये यानि कुल 26,30,000/–रूपये की राशि की विमुक्ति की सूचना न्यासी पर्षद को दी जाती है।	सूचना ग्रहण किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि मैट्रिक व इण्टर के मेधा सूची में आये (प्रथम दस राज्य स्तर के तथा जिला में प्रथम) छात्र/छात्राओं को मुख्य मंत्री सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित कर प्रोत्साहन राशि दिया जाए। जो छात्र/छात्रा उक्त कार्यक्रम में अनुपस्थित होगें, उनकी राशि संबंधित जिला पदाधिकारी को भेज दी जाएगी।
8.	वर्ष 2010 में गोपालगंज जिला में गंडक नदी में निर्मित तटबंध के टूटने से आई बाढ़ के फलस्वरूप सरकारी राहत शिविरों में निवास कर रहे विस्थापित परिवारों को बर्तनादि (स्टील थाली, ग्लास एवं कटोरा) क्रय किये जाने हेतु प्रति व्यक्ति	स्वीकृत

	250/-रूपये की दर से भुगतान हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष से कुल 12.00 लाख (बारह लाख) रूपये विमुक्त की गयी थी। इसमें से 98,000.00 रूपयों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त है। शेष राशि जो, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा चेक के माध्यम से लौटाई गयी है, उसे मुख्य मंत्री राहत कोष में जमा कर दिया गया है। मुख्य मंत्री राहत कोष से विमुक्त उक्त राशि पर न्यासी पर्षद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है।	
9.	श्री शशि रंजन धावले, उप सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स, पटना को विशेष परिस्थिति में G.B. Syndrome नामक बीमारी की चिकित्सा हेतु दिनांक 16.12.2010 को मुख्य मंत्री राहत कोष से स्वीकृत/विमुक्त की गयी कुल 5.88 लाख (पाँच लाख अट्ठासी हजार) रूपये की राशि की घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
10.	दिनांक 16.12.2009 को सम्पन्न न्यासी पर्षद द्वारा राज्य में बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुख्य मंत्री राहत कोष से 50,000/-रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृति का प्रावधान किया गया था। उक्त प्रावधान आपदा प्रबंधन विभाग में दिनांक 01.04.2009 के पश्चात् सहायता हेतु प्राप्त लंबित अभ्यावेदनों के लिए भी प्रभावी था। उक्त प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत सिकटा अंचल के श्री योगिन्द्र साह के परिवार के तीन व्यक्तियों की बज्रपात से हुई मृत्यु के फलस्वरूप मुख्य मंत्री राहत कोष से 1.50 लाख रूपये की सहायता राशि आश्रित को प्रदान की गई। बाद में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उक्त तीनों मृतकों के मृत्यु की तिथि 05.10.2008 प्रेषित करते हुए मुख्य मंत्री राहत कोष से आश्रित को भुगतेय राशि वापस करने का निर्देश निर्गत किया गया एवं इसकी सूचना मुख्य मंत्री सचिवालय को भी दी गई। उक्त सूचना के आलोक में मृतक के आश्रित को मुख्य मंत्री राहत कोष से स्वीकृत राशि की वसूली का निदेश जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को दिया गया। उनके द्वारा संसूचित किया गया कि मुख्य मंत्री राहत कोष से प्राप्त राशि का व्यय आश्रित श्री साह द्वारा अपनी पुत्री का विवाह सम्पन्न	स्वीकृत। साथ ही, जिससे यह चूक हुई है उस पर दोष निर्धारण कर कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को कहा गया।

	करने एवं तीन छोटे बच्चों की बीमारी एवं पालन–पोषण में किया जा चुका है तथा आश्रित उक्त परिस्थिति में 1.50 लाख रूपये की राशि वापस करने की स्थिति में नहीं है। जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया है। विशेष परिस्थिति में मात्र उपरोक्त मामले में (दिनांक 05.10.2008 को हुई मृत्यु की स्थिति में) मृतकों के आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में मुख्य मंत्री राहत कोष से स्वीकृत की गई 1.50 लाख रूपये की राशि की विमुक्ति के प्रस्ताव में न्यासी पर्षद की स्वीकृति प्रार्थित है।	
11.	राष्ट्रीय स्तर की खो–खो खिलाड़ी सुश्री ज्योति कुमारी, पिता–श्री मोहन लाल गुप्ता, डी0आई0जी0 चौक, पूर्णियाँ, जिला–पूर्णियाँ की सड़क दुर्घटना में दोनों पैर की हड्डी टूट जाने के फलस्वरूप उसके ईलाज पर भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा–पूर्णियाँ द्वारा कुल 50,182/–रूपये का तत्काल भुगतान किया गया। मुख्य मंत्री राहत कोष से भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा–पूर्णियाँ को मात्र 50,182/–रूपये की राशि प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दिनांक 31.08.2011 को प्रदान की गयी। मुख्य मंत्री राहत कोष से विमुक्त राशि की न्यासी पर्षद से घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है।	स्वीकृत
12.	श्री संजय कुमार, जो Aplastic Anaemia नामक बीमारी से ग्रसित हैं तथा जिनका ईलाज A.I.I.M.S. New Delhi में किया जा रहा है, की चिकित्सा में कुल 6.15 लाख रूपये व्यय का आकलन A.I.I.M.S. New Delhi द्वारा किया गया। मरीज के चिकित्सा संबंधी कागजातों/साक्ष्यों–आदि को जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से प्राप्त कर मुख्य मत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के अन्तर्गत 2.00 लाख रूपये की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की गयी तथा शेष राशि 4.15 लाख रूपये मुख्य मंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराने की अनुशंसा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। तदनुसार स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार की समुचित चिकित्सा हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष से मात्र 4.15 लाख (चार लाख पन्द्रह हजार) रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी। मुख्य	स्वीकृत

	मंत्री राहत कोष से विमुक्त की गयी उक्त राशि की घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	
13.	दिनांक 18.09.2011 को सिक्किम राज्य में हुई भूकम्प की घटना के फलस्वरूप प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास हेतु सिक्किम सरकार को मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के रूप में 5.00 करोड़ (पाँच करोड़) रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृत राशि चेक संख्या 427946 द्वारा दिनांक 24.09.2011 को भेज दी गयी और प्रधान सचिव (मुख्य मंत्री सचिवालय, सिक्किम) की पावती प्राप्त है। मुख्य मंत्री राहत कोष से विमुक्त की गयी उक्त राशि की स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
14.	कोशी बाढ़ 2008 के दौरान हेलिकॉप्टर से राहत पैकेट गिराने के क्रम में चोट लगने से ईलाज के दौरान सूर्य नारायण मेहता, पिता–स्व0 बिहारी मेहता, ग्राम–जीवछपुर, अंचल–छातापुर, जिला–सुपौल की हुई मृत्यु के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल के परामर्श के आलोक में मृतक के आश्रित को भुगतान हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के रूप में 50,000/–रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य मंत्री राहत कोष से विमुक्त की गयी उक्त राशि की घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
15.	दिनांक 18.09.11 की संध्या राज्य के विभिन्न जिलों में भूकम्प से हुई मृत्यु के फलस्वरूप मृतकों के आश्रितों को 50,000/–हजार रूपये प्रति की दर से मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता राशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। यह सहायता राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाने वाली 1.00 लाख रूपये की अनुदान राशि के अतिरिक्त देय होगी। इस संबंध में न्यासी पर्षद की स्वीकृति प्रार्थित है।	स्वीकृत
16.	कुछेक मामलों में ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्य मंत्री राहत कोष के अन्तर्गत उच्च शिक्षा हेतु छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदन के आलोक में समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना संभव	

	नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण संबंधित जिला पदाधिकारियों के स्तर से जाँच प्रतिवेदन विलम्ब से प्राप्त होना है। ऐसी स्थिति में, यदि छात्र/छात्रा पढ़ाई पूरी कर संस्थान छोड़ चुकें होतें हैं, तब भी सहायता के योग्य पाये जाने पर आर्थिक सहायता की राशि चेक के माध्यम से उनके नाम भेजे जाने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद की स्वीकृति प्रार्थित है।	अस्वीकृत
17.	समय–समय पर न्यासी पर्षद की विभिन्न बैठकों में मुख्यमंत्री राहत कोष के नियमावली व मार्गदर्शिका में संशोधन के प्रस्ताव पारित होते रहे हैं। कुछ अन्य संशोधन भी लंबित हैं। Underlined संशोधन लंबित हैं तथा मात्र highlighted संशोधन न्यासी पर्षद में पूर्व में पारित हैं जिनको नियमावली व मार्गदर्शिका में सम्मिलित किया गया है। सभी पारित व अन्य संशोधनों को सम्मिलित करते हुए नियमावली व मार्गदर्शिका (परिशिष्ट ख) के अनुमोदन का प्रस्ताव है। संशोधित नियमावली व मार्गदर्शिका को महानिरीक्षक, निबंधन को सूचनार्थ भेजने का भी प्रस्ताव है।	स्वीकृत। साथ ही, निर्णय लिया गया कि प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/मानव संसाधन विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग न्यासी पषर्द के सदस्य के रूप में रहेगें।
18.	उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आर्थिक सहायता की स्वीकृति विषयक मुकेश कुमार, पिता–श्री गाजो पंडित, ग्राम–नया टोला, मीराचक, पो0–बहादुरपुर, थाना–औद्योगिक बरारी, जिला–भागलपुर के मामले में जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन में छात्र की मृत्यु उसके अध्ययन काल में हो जाने का उल्लेख है। शिक्षण संस्थान में नामांकन होने के उपरांत अध्ययन काल में छात्र की मृत्यु हो जाने पर वर्तमान स्थापित नियमावली में आर्थिक सहायता स्वीकृति का प्रावधान एवं प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। अतः उक्त मामले में यदि स्व0 मुकेश कुमार मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता के योग्य पाये जाते हैं, तो सहायता राशि उनके आश्रित/अभिभावक को भेजे जाने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद की स्वीकृति प्रार्थित है।	स्वीकृत
19.	**अन्यान्य :–** **(क)** अदम्य साहस एवं बहादुरी के साथ अपने जीवन को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने	स्वीकृत

	वाले राज्य के साहसी एवं बहादुर बच्चों/नागरिकों को मुख्य मंत्री राहत कोष से अधिकतम 50,000/–(पचास हजार) रूपये की राशि प्रोत्साहन/पुरस्कार स्वरूप प्रदान करने की स्वीकृति का प्रस्ताव है। **(ख)** विभिन्न क्षेत्रों यथा–राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेल–कूद प्रतियोगिता, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय विभिन्न व्यावसायिक कोर्सो की प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं उच्च शिक्षा के परीक्षाफल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले राज्य के निर्धन एवं मेधावी छात्रों को मुख्य मंत्री राहत कोष से अधिकतम 50,000/–(पचास हजार) रूपये की राशि प्रोत्साहन/पुरस्कार स्वरूप प्रदान करने की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	स्वीकृत

ह०/–
(नीतीश कुमार)
मुख्य मंत्री–सह–अध्यक्ष, न्यासी पर्षद,
मुख्य मंत्री राहत कोष, बिहार।

ज्ञापांक–सा०–30/2005– 470201 **/मु०मं०स०, पटना, दिनांक –** 25.01.2012
प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के आप्त सचिव
2. मुख्य सचिव, बिहार
3. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
4. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
5. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार
6. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
7. माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव
8. सचिव (श्री चंचल कुमार) के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार

(चंचल कुमार)
मुख्य मंत्री के सचिव–सह–सदस्य सचिव,
न्यासी पर्षद, मुख्य मंत्री राहत कोष, बिहार।

परिशिष्ट 'क'–।

मुख्य मंत्री राहत कोष से प्राकृतिक/गैर–प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000/–रूपये प्रति मृतक की दर से स्वीकृत राशि की विवरणीः–

क्रमांक	जिला	घटना	मृतकों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹)
1	पूर्वी चम्पारण	वर्ष 2007/2008 में आई बाढ़ के दौरान हुई मृत्यु	15	7.50 लाख
2	सीतामढ़ी	वर्ष 2007 में आई बाढ़ के दौरान हुई मृत्यु	5	2.50 लाख
3	मधेपुरा	वर्ष 2008 में आई कोशी बाढ़ के दौरान हुई मृत्यु/लापता	136	68.00 लाख
4	दरभंगा	वर्ष 2007 में आई बाढ़ के दौरान हुई मृत्यु	25	12.50 लाख
		वर्ष 2009 में आई बाढ़ के दौरान हुई मृत्यु	8	4.00 लाख
5	खगड़िया	वर्ष 2007 में आई बाढ़ के दौरान हुई मृत्यु	1	50,000/–
6	समस्तीपुर	वर्ष 2007 में आई बाढ़ के दौरान हुई मृत्यु	1	50,000/–
7	सहरसा	वर्ष 2008 में आई कोशी बाढ़ के दौरान हुई मृत्यु	44	22.00 लाख
8	पूर्णियाँ	दिनांक 19.06.2011 से 28.07.2011 के बीच विभिन्न अंचलों में बज्रपात से हुई मृत्यु	18	9.00 लाख
9	शेखपुरा	दिनांक 05.08.11 को ग्राम–पन्धर, अंचल–अरियरी के निवासी नवीन कुमार की बज्रपात से हुई मृत्यु	1	50,000/–
		कुल =	**254**	**127.00 लाख**

3887

परिशिष्ट 'क'– ।।

मुख्य मंत्री राहत कोष से प्राकृतिक/गैर–प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000/–रूपये प्रति मृतक की दर से स्वीकृत राशि की विवरणी:–

क्रमांक	जिला	घटना	मृतकों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹)
1	पटना एवं नालंदा	दिनांक 28.02.2010 को अन्ना मल्लाई विश्वविद्यालय इंजीनिरियंग कॉलेज, तमिलनाडु के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान तमिल पुलिस की लाठी चार्ज से घायल पटना एवं नालंदा जिला के 02 छात्रों की मृत्यु	2	1.00 लाख
2	सुपौल	दिनांक 11.08.10 को मरौना प्रखण्ड अन्तर्गत तिलयुगा नदी के ब्रहमोत्रा घाट में नाव दुर्घटना में हुई मृत्यु	28	14.00 लाख
3	पूर्वी चम्पारण	दिनांक 05.09.2010 को रक्सौल शहर में बिजली तार टूटने से हुई मृत्यु	2	1.00 लाख
4	मधेपुरा, सहरसा, जमुई, शेखपुरा, बाँका	दिनांक 18.05.2011 की रात्रि में आई चक्रवाती तूफान एवं बज्रपात से हुई मृत्यु	17	8.50 लाख
5	पूर्णियाँ	दिनांक 19.04.2011 को विभिन्न अंचलों में चक्रवाती तूफान से हुई मृत्यु	4	2.00 लाख
6	रोहतास	दिनांक 02.8.11 को नटवार थानान्तर्गत अहरांव पुल के निकट बस में सवार व्यक्तियों की विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु	9	4.50 लाख
7	औरंगाबाद	दिनांक 21.8.11 को हसपुरा थानान्तर्गत ग्राम–मुंजहर टोले, भतन बिगहा में अग्नि कांड से हुई मृत्यु	5	2.50 लाख

8	पूर्वी चम्पारण	दिनांक 15.09.11 को बुढ़ी गंडक नदी के सेमरा घाट, अंचल–मेहसी में नाव दुर्घटना में हुई मृत्यु	2	1.00 लाख
9	नालंदा, दरभंगा, शिवहर एवं समस्तीपुर	दिनांक 18.09.11 की संध्या राज्य के विभिन्न जिलों में भूकम्प से हुई मृत्यु	5	2.50 लाख
10	पूर्वी चम्पारण	दिनांक 23.11.11 को ग्राम–सूर्यपुर, अंचल–पिपरा कोठी में अग्निकांड में हुई मृत्यु	8	4.00 लाख
		कुल =	**82**	**41.00 लाख**